उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
U. P. Power Corporation Ltd.

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ ।

संख्या 04 – विनियम/पाकालि/12— 2(21)एनजीए/04 दिनांक 03.02.2012

कार्यालय ज्ञाप

विषय :– उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सहयोगी विद्युत वितरण एवं पारेषण कम्पनियों में विभागीय कार्मिकों की अवर अभियंता (सामा0 श्रेणी) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति से सम्बन्धित कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 61–औ0 सं0 एवं विनियम/पाकालि/2008 दिनांक 06.11.08, सं0 66 दिनांक 03.12.08 सपठित संख्या 144–दिनांक 04.11.11 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उनकी सहयोगी विद्युत वितरण तथा पारेषण कम्पनियों के कतिपय क्षेत्राधिकारियों/लेखाधिकारियों द्वारा यह भ्रांति उत्पन्न की गई है कि टेक्नीशियन ग्रेड–2/1 व केबिल ज्वाइन्टर पदधारकों का अवर अभियंता (सामा0 श्रेणी) के पद पर चयन, प्रोन्नति है अथवा नहीं ?

उपरोक्त के सम्बन्ध में एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि :–

"कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 61–औ0 सं0 एवं विनियम/पाकालि/2008 दिनांक 06.11.08, सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या 66 दिनांक 03.12.08 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 144–दिनांक 04.11.11 द्वारा परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 से आवरित टेक्नीशियन ग्रेड–2/1, विद्युत /यांत्रिक/लाइन/केबिल ज्वाइन्टर पदधारकों का अवर अभियंता (सामा0 श्रेणी) पद पर चयन हेतु उ0 प्र0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (ई0एण्ड एम0) रेग्यूलेशन, 1972 के सम्बन्धित प्राविधानों से "लिखित परीक्षा " का प्राविधान हटाकर केवल "साक्षात्कार " द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गई है परन्तु अन्य प्राविधान यथावत् रखे गये हैं । अतः यह व्यवस्था "चयन किये जाने की व्यवस्था है" न कि "प्रोन्नति की व्यवस्था" । इस प्रकार विभागीय कार्मिकों हेतु अवर अभियंता का पद प्रोन्नति पद न होकर चयन पद ही है । "

अतः टेक्नीशियन ग्रेड–2/1 से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही उपरोक्तानुसार सुनिश्चित की जाए।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्याः 04 (1) विनियम /पाकालि/12–तद्दिनांकः

प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।

2– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के सलाहकार ।

3– संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

क्रमशः–2–

5– समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

6– प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/ मध्यांचल/ पश्चिमांचल/ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।

7– मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ।

8– समस्त मुख्य अभियन्ता, (स्तर–1/2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

9– मुख्य अभियंता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

10. अपर सचिव– प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय/ अराजपत्रित/ महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/ सलाहकार (औस), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

11– संयुक्त सचिव (काविनी) को उनके पत्रांक 108 दिनांक 03.02.2012 के संदर्भ में ।

13– अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड किये जाने हेतु।

14– मुख्य अभियंता (वितरण), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बरेली को उनके पत्रांक 1208 दिनांक 14.12.11 एवं उप मुख्य लेखाधिकारी, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गोरखपुर को उनके पत्रांक 2511 दिनांक 14.12.2011 के संदर्भ में ।

15– पत्रावली संख्या –05 विनियम/98

(जावेद अहमद) ३/२१/१२

उप सचिव (विनियम)

(५)